भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 20
05 दिसंबर, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्त्री रोग विशेषज्ञों की स्थिति

***20. श्री बी. पार्थसारधी रेड्डीः**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश के प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में नियुक्त स्थायी और अस्थायी स्त्री रोग विशेषज्ञों के आंकड़े उपलब्ध हैं;
(ख) यदि हां, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नियुक्त स्त्री रोग विशेषज्ञों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देश भर में महिलाओं और बच्चों के लिए यौवनारंभ और उसके बाद के वर्षों के दौरान स्त्री रोग विशेषज्ञ सुलभ हों; और
(घ) यदि हां, तो ऐसी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

05 दिसंबर, 2023 के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 20 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): स्वास्थ्य राज्य का विषय है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता उन्हें उनके समग्र संसाधन दायरे के भीतर उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में उनके द्वारा रखी गई अपेक्षाओं के आधार पर दी जाती है।

भारत सरकार सरकारी स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायगी में त्रि-स्तरीय प्रणाली नामत: प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या का पालन करती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में प्राथमिक स्तर की स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान की जाती है और किसी विशेषज्ञ स्वास्थ्य परिचर्या के लिए रोगियों को मध्यम और विशिष्ट स्तर के स्वास्थ्य परिचर्या केंद्रों में रेफर किया जाता है। गाइनीकोलॉजिस्ट के पद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत, राज्यों ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (यूपीएचसी) में पूर्व निर्धारित दिनों पर ओपीडी या सेवा प्रदायगी सुदृढ़ करने के लिए टेली-परामर्श के माध्यम से नियमित अवधि पर विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करने के लिए अंशकालिक रूप से बारी-बारी से विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की है जिनमें ऑब्स्टेट्रिशिएन और गाइनीकोलॉजिस्ट भी शामिल हैं।

(ग) और (घ): महिलाओं को यौवनारंभ और बाद के वर्षों में गाइनीकोलॉजिस्ट तक पहुंचने की चुनौतियों का समाधान करने के लिए की गई प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके): आरकेएसके के तहत, देशभर में कुल 8,532 किशोर हितैषी स्वास्थ्य क्लिनिक (एएफएचसी) स्थापित किए गए हैं। एएफएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के लिए किशोरों के साथ संपर्क का पहला स्तर होता है। किशोर और किशोरियों की विभिन्न स्वास्थ्य और परामर्श संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए चिकित्सा अधिकारियों, ऑक्जीलिएरी नर्स और मिडवाइव्स (एएनएम) और परामर्शदाताओं (काउंसलर्स) को प्रशिक्षित करके एएफएचसी पर तैनात किया जाता है।

इसके अलावा, प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं के लिए मंत्रालय द्वारा की गई अन्य प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:

- **जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई)** मांग संवर्द्धन और सशर्त नकदी हस्तांतरण की योजना है जिसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देते हुए मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना।
- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके)** का उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं और बीमार शिशुओं को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सिजेरियन सेक्शन सहित प्रसव, परिवहन, नैदानिक सेवाएं, दवाएं, अन्य उपभोज्य वस्तुएं, आहार और रक्त संबंधी सेवाएं नि:शुल्क प्रदान करके उनकी जेब से खर्च बचाना। **वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, 1.85 करोड़ से अधिक लाभार्थियों ने जेएसएसके के तहत सेवाओं के लाभ उठाए हैं**।
- **सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन)** का उद्देश्य है सरकारी स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में आने वाली प्रत्येक महिला और नवजात शिशु को बिना किसी मनाही के बिना किसी लागत के सुनिश्चित, गरिमापूर्ण सम्मानपूर्वक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करना ताकि माताओं और नवजातों की सभी परिहार्य मौतों को रोका जा सके। **अभी तक, 23564 सुविधाकेंद्रों को सुमन के तहत अधिसूचित किया गया है**।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए)** के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक माह की 9 तारीख को **निर्धारित दिन** बिना किसी लागत के सुनिश्चित और गुणवत्तापरक प्रसव-पूर्व स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान की जाती है। इसकी शुरुआत से अब तक, अक्टूबर 2023 तक राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमएसएमए के अंतर्गत **4.49 करोड़ से अधिक प्रसव-पूर्व जांचें** की गई हैं और **उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था के 47.74 लाख मामलों** की पहचान की गई है।
- माताओं और बच्चों को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य परिचर्या की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अधिक भीड़भाड़ वाले सुविधाकेंद्रों में **मातृ और बाल स्वास्थ्य (एमसीएच) स्कंध** स्थापित करना। अभी तक **600** से अधिक **एमसीएच स्कंध** संचालनरत हैं।
- एनेस्थेसिया - जीवन रक्षक एनेस्थेसिया कौशल (एलएसएएस) और सी-सेक्शन सहित आपातकालीन प्रसूति स्वास्थ्य परिचर्या (ईएमओसी) कौशल में एमबीबीएस चिकित्सकों का **क्षमता निर्माण करना** ताकि इन विभागों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञों की कमी को दूर किया जा सके। लगभग **2518 चिकित्सकों को सी-सेक्शन सहित आपातकालीन प्रसूति स्वास्थ्य परिचर्या में तथा 2683 चिकित्सकों को एलएसएएस में प्रशिक्षित किया गया है**।
